

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान सुवेरी

-:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सुवेरी व मू.अ.नि.
खेवाडा की रिपोर्ट तथा खेवाडा तहसीलदार खेवाडा की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व
अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सुवेरी तहसील खेवाडा जिला
उदयपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या 334 में वर्तमान में दर्ज
प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>सुवेरी</u>	<u>334</u>	<u>हरिलाल पुत्र रामा शीणा</u>	<u>हरिश पुत्र रामा शीणा</u>

उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी खेवाडा जिला उदयपुर
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, _____

कमांक :- 2256

दिनांक :- 21/12/2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, खेवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शुद्ध किया जाकर फालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री हरिश पुत्र रामा शीणा को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी खेवाडा जिला उदयपुर
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, _____

Receipt
Asst

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान..... सुवैरी

रवेरवाडा

—:आदेश:—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सुवैरी व भू.ज.नि.
जवाहर की रिपोर्ट तथा ~~...~~ तहसीलदार वेरवाडा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सुवैरी तहसील वेरवाडा जिला
उदयपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या 334 में वर्तमान में दर्ज
प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं —

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>सुवैरी</u>	<u>334</u>	<u>हरिलाल पुत्र रामा शीणा</u>	<u>हरिश पुत्र रामा शीणा</u>

(उपखण्ड अधिकारी)
पीठासीन अधिकारी उदयपुर
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, —————

क्रमांक :- 2256

दिनांक :- 21/12/2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, वेरवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर फाइनल रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री हरिश पुत्र रामा शीणा को सूचनाएं।
3. रक्षित पत्रायली।

(उपखण्ड अधिकारी)
पीठासीन अधिकारी उदयपुर
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, —————

Receipt

[Signature]

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

सेवा में,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।

प्रार्थी :- हरिशा पुत्र रामा

विषय :- राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरुस्ती करने बाबत्।

महोदय जी,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मुझ प्रार्थी का निम्न प्रकार निवेदन है :-

1. कि ग्राम मुवेरी की जमाबन्दी सम्वत् 2015-16 की खाता संख्या 3 खसरा संख्या कित्ता 23 रकबा 3.28 हैक्टयर भूमि के खाते में मुझ प्रार्थी का नाम हरिलाल पुत्र रामा दर्ज है।
2. कि मेरा सही नाम हरिशा पुत्र रामा है, एवं मेरी शैक्षणिक योग्यता/मतदाता फोटो पहचान पत्र/आधार कार्ड/राशन कार्ड एवं अन्य समस्त सरकारी दस्तावेजों में भी मेरा सही नाम हरिशा पुत्र रामा ही दर्ज है।
3. कि मेरा नाम खाते में दर्ज करते समय गाँव में मुहबोला नाम हरिलाल पुत्र रामा होने से उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हो गया। खाते में नाम वास्तव में मेरे सही नाम का विकृत/अपभ्रंश है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत मेरा नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने की कृपा करावे।

हरिशा
भवदीय

आवेदक/खातेदार

संलग्न :-

1. जमाबन्दी नकल।
2. पहचान हेतु सरकारी दस्तावेज।

रिपोर्ट पटवारी मुवेरी तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही है। ग्राम की खाता संख्या 334 में प्रार्थी का नाम दीबालाल पुत्र रामा दर्ज है, जबकि प्रार्थी के नाम सरकारी दस्तावेजों में सही नाम हरीश पुत्र रामा दर्ज है। खाते में दर्ज नाम प्रार्थी के नाम का विकृत रूप/अपभ्रंश है। अतः ग्राम मुवेरी की खाता संख्या 334 में दर्ज नाम दीबालाल पुत्र रामा के स्थान पर सही इन्द्राज हरीश पुत्र रामा दर्ज किया जाना उचित है।

अभिलेख
भू अभिलेख निरीक्षक जयपाम

पटवारी

कार्यालय तहसीलदार खेरवाड़ा जिला उदयपुर

भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मुवेरी की जमाबन्दी की खाता संख्या 334 में दर्ज नाम दीबालाल पुत्र रामा के स्थान पर सही नाम हरीश पुत्र रामा शीगा दर्ज किया जाना उचित है।

तहसीलदार-खेरवाड़ा
तहसीलदार
जिला-उदयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा जिला उदयपुर

क्रमांक :

दिनांक : 21/12/2021

::आदेश::

प्रार्थी के प्रार्थना एवं तहसीलदार खेरवाड़ा की रिपोर्ट एवं सलंगन दस्तावेजों के आधार पर राजस्थान भू अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम मुवेरी की जमाबन्दी की खाता संख्या 334 में दर्ज नाम/इन्द्राज दीबालाल पुत्र रामा के स्थान पर सही नाम/इन्द्राज हरीश पुत्र रामा शीगा दर्ज करने की स्वीकृती प्रदान की जाती है। तहसीलदार खेरवाड़ा आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करे।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
खेरवाड़ा जिला उदयपुर